

## फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री नितेश

विपक्षी : श्री जगदीश

किस्म मुकदमा -212 रा.का. अधिनियम

पत्रावली संख्या : 16/25

जीसीएमएस : 2025/59

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सुनारण जारी की गई
	<p>दिनांक : 09.07.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण मय स्वयं प्रार्थीगण द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र विद्धो का पेश करने पर वाद विद्धो किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र शामिल फाईल रहे।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण मय स्वयं प्रार्थीगण द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र विद्धो का पेश कर प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर विद्धो किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं स्वयं प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र वाद विद्धो पर सुना गया तथा प्रार्थना पत्र वाद विद्धो को पढकर अधिवक्ता प्रार्थीगण मय प्रार्थीगण को सुनाया गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया। प्रार्थीगण की पहचान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा की गई।</p> <p>चूंकि अधिवक्ता प्रार्थीगण मय प्रार्थीगण अब इस प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर विद्धो कर खारिज करवाना चाहते हैं। ऐसे में वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद विद्धो का स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर विद्धो फरमाया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (FT) मावली</p>	

